उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या:सा–3–1517 / दस–2008–308 / 97
लखनऊ : दिनॉक : 10 दिसम्बर, 2008

कार्यालय – ज्ञाप

विषय :– वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप अशक्तता पेंशन भोगियों हेतु नियत परिचर भत्ता स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त 100 प्रतिशत अशक्तता के आधार पर अशक्तता पेंशन प्राप्त ऐसे पेंशन भोगियो को जो अपने दैनिक कार्यो के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर पूरी तरह आश्रित है, उन्हें अशक्तता पेंशन के अतिरिक्त रू0 3000 प्रतिमाह नियत परिचर भत्ता स्वीकृत किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपर्युक्त प्रयोजन हेतु संबंधित पेंशनर द्वारा त्रैमासिक आधार पर (त्रैमास अप्रैल–जून से संबंधित भत्ते का, 10 जुलाई तक त्रैमास जुलाई – सितम्बर से संबंधित भत्ते का 10 अक्टूबर तक एवं इसी प्रकार आगे) संलग्न प्रारूप पर आवश्यक प्रमाण – पत्र कोषाधिकारी के समक्ष त्रैमास की समाप्ति के बाद अगले माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत किए जाने पर कोषाधिकारी द्वारा अनुदान संख्या – 62 (वित्त विभाग अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) के लेखाशीर्षक "2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ–01–सिविल–800–अन्य व्यय – 08–अशक्तता पेंशन भोगियों हेतु नियत परिचर भत्ता–42–अन्य व्यय " से प्रमाण – पत्र से आच्छादित त्रैमास के लिए देय भत्ते की धनराशि आहरित करते हुए उसका भुगतान संबंधित पेंशनर को किया जाएगा।

अनूप मिश्र
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1)–समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
(2)–समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0,
(3)–समस्त जिला अधिकारी, उ0प्र0

स्थानीय पेंशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियॉ (कार्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाए)
(प्रत्येक को 50 प्रतियॉ
(कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पॉच प्रतियॉ)

संख्या – सा–3–1517(1)/दस–2008, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–	सचिवालय के समस्त अनुभाग।	प्रत्येक को एक प्रति
2–	सचिव, विधान सभा, परिषद, विधान भवन, लखनऊ।	–5 प्रतियाँ–
3–	निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ	–5 प्रतियाँ–
4–	निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ	–5 प्रतियाँ–
6–	सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को प्रचारार्थ।	–5 प्रतियाँ–
7–	मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, इलाहाबाद	–5 प्रतियाँ–
8–	मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा, विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।	–5 प्रतियाँ–
9–	वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।	–5 प्रतियाँ–
10–	उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।	–5 प्रतियाँ–
11–	इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।	–5 प्रतियाँ–
12–	मुख्य लेखाधिकारी, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, बिक्री कर विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ। नागरिक उड्डयन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उ0प्र0 लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, महानिरीक्षक, होमगार्डस, उ0प्र0 प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ, महानिदेशक, स्वास्थ्य, उ0प्र0 लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झाँसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।	–5 प्रतियाँ–

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
विशेष सचिव।

प्रमाण – पत्र

कोषाधिकारी,

(जहाँ से पेंशन आहरित की जाती है)

मैं————————————————————— सिविल / पारिवारिक पेंशन के रूप में (पद / कार्यालय) ———————————————————————————————————— उ0प्र0 से दिनाँक ——————————को सेवानिवृत्त हुआ था। मुझे शासनादेश संख्या – सा–3–1517 / दस–2008–308 / 97, दिनाँक ————————— के अनुसार रू0 3,000 / – (रूपया तीन हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से " नियत परिचर भत्ता " अनुमन्य है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा माह से तक की अवधि में अपने आवास संख्या ———————————————— पर परिचर के रूप मे ———————————————— को निरंतर सेवायोजित रखते हुए उसकी सेवाओं का उपभोग किया गया है।

(हस्ताक्षर दिनाँक सहित)

नाम————————————

अन्तिम धारित पद————————

पी0पी0ओ0 संख्या————————

आवासीय पता————————

————————————————

दिनाँक ————————

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 08 सा0 वित्त–11.12.2008–(1596)– 15000 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।